

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—722/2011

संस्थित दिनांक—19.10.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

विजय पिता भितफोडिया नायक, उम्र 24 वर्ष,

निवासी—ग्राम दमोह, थाना बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—26/12/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—07.08.2011 को समय करीब 14—15 बजे स्थान ग्राम सलघट मेन रोड़, आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकस्थान पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी.डिलक्स क्रमांक—सी.जी.08/एन.1243 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक बादशाह को ठोस मारकर, उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—07.08.2011 को समय करीब 14—15 बजे स्थान ग्राम सलघट मेन रोड़, आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकस्थान पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी.डिलक्स क्रमांक—सी.जी.08/एन.1243 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये बादशाह को ठोस मार दिया, जिससे उसके मस्तक एवं पैर में चोट आयी, जिसे ईलाज हेतु एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखंड में भर्ती किया गया। ईलाज के दौरान बादशाह की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में एम.सी.पी. अस्पताल द्वारा थाना मलाजखंड में लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई। पुलिस थाना मलाजखंड में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—0/2011, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया तथा थाना बिरसा में असल नम्बर पर अपराध क्रमांक—81/2011, धारा—304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा मृतक बादशाह की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक—16/2011 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना

स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया गया, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। घटना समय आरोपी के पास वाहन चालने की वैध अनुज्ञप्ति न होने से आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.08.2011 को समय करीब 14-15 बजे स्थान ग्राम सलघट मेन रोड़, आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत लोकस्थान पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स क्रमांक-सी.जी.08/एन.1243 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक बादशाह को ठोस मारकर, उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
2. उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— सुरेन्द्र (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को वह आरोपी के साथ मोटरसाइकिल से आ रहा था तो रास्ते में आरोपी ने मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुये एक व्यक्ति को ठोस मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उक्त दुर्घटना में उसे भी चोट आयी थी और वह डर के मारे भाग रहा था तो उसे लोगों ने पकड़ लिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-7 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं जानता। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत इस चक्षुदर्शी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

6— चरणदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी की पहचान नहीं की है। उक्त साक्षी ने सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल पर पहुंचकर आहत बादशाह को गंभीर हालत अवस्था में देखे जाने की पुष्टि की है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी तथा वह नहीं बता सकता कि घटना के समय गाडी कौन चला रहा था। साक्षी ने पुलिस को बयान देते समय गाडी का नम्बर भी बताये जाने इंकार किया है तथा यह स्वीकार किया है कि यदि उसके बयान में गाडी का नम्बर लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने केवल इस तथ्य का समर्थन किया है कि दुर्घटना के समय मृतक बादशाह को गम्भीर चोटें आयी थी तथा उसे घायल अवस्था में रोड के किनारे पड़े हुये देखा था, जिसकी पश्चात् में मृत्यु हो गई थी।

7— अमीन (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी की पहचान नहीं की है। उक्त साक्षी ने सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल पर पहुंचकर आहत बादशाह को गंभीर हालत अवस्था में देखे जाने की पुष्टि की है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर सुरेन्द्र कन्नौजे को पकड़ा गया था, जिसने मोटरसाइकिल चालक का नाम विजय नायक बताया था। साक्षी ने मोटरसाइकिल का नम्बर सी.जी.08/एन.1243 होना स्वीकार किया है, किन्तु साक्षी ने स्वयं घटना होते हुये नहीं देखी है तथा मोटरसाइकिल का नम्बर किस आधार पर साक्ष्य में प्रकट किया है, इसका खुलासा नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे जो बताया गया था उसके आधार पर उसने बयान दिया था। इस प्रकार साक्षी ने अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में साक्षी के कथन न होने से अभियोजन को साक्षी के कथन से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— हीरादास (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चालते हुये बादशाह को ठोस मार दिया था, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय गाडी कौन चला रहा था, वह नहीं देख पाया था और मोटरसाइकिल गिरने के बाद देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे मोटरसाइकिल का नम्बर देखने का मौका नहीं आया। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि दुर्घटना के समय बादशाह को मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर चोट आयी थी, जिस

कारण उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, किन्तु साक्षी ने घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान अपने साक्ष्य में नहीं की है।

9— त्रिभुवनदास (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उसे दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना के समय वह दमोह बाजार से वापस आ रहा था तो रोड़ के किनारे एक लडके को घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा था। उक्त घायल व्यक्ति ने बताया था कि मोटरसाइकिल चालक भाग गया है। मोटरसाइकिल की टक्कर से मृतक को गम्भीर चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि घटना के 10 मिनट के अंदर वह घटना स्थल पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने मौके पर दुर्घटना के पश्चात् पहुंचने पर घटना का वृत्तांत पेश किया है, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मोटरसाइकिल चालक के रूप में आरोपी की पहचान करते हुये अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

10— तखतदास (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय मोटरसाइकिल से ग्राम सलघट आ रहा था तो रास्ते में एक आहत व्यक्ति रोड़ के किनारे बेहोश हालत में पड़ा था। एक अन्य व्यक्ति भी घायल था, जिसे लोगों ने पकड़कर रखा था, उसने दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल के चालक का नाम विजय नायक बताया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने जो भी बात बतायी है, वह सुनी-सुनायी है, वह घटना के समय मौजूद नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने मौके पर दुर्घटना के पश्चात् पहुंचने पर घटना का वृत्तांत पेश किया है, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मोटरसाइकिल चालक के रूप में आरोपी की पहचान करते हुये अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

11— संतोष (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं पहचानता तथा घटना के उसके सामने नहीं हुई थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना स्थल पर आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा है तथा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

12— चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर सुनीलसिंह (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में मृतक बादशाह के शव परीक्षण करने पर उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गम्भीर चोट आने के कथन किये हैं। साक्षी ने मृतक बादशाह को सिर में लगी गम्भीर चोट एवं अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण मृत्यु कारित होने का अभिमत दिया है। उसके द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में

उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतक बादशाह की मृत्यु दुर्घटना के कारण कारित हुई थी।

13— ज्ञानेश्वर इडपांचे (अ.सा.10) ने मामले में अस्पताल तहरीर के आधार पर थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर होते हुये मर्ग इंटीमेशन की कार्यवाही प्रदर्श पी-11 लेख किये जाने की पुष्टि की है तथा प्रधान आरक्षक राजेश सनोढिया (अ.सा.11) ने थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर होते हुये असल कायमी प्रदर्श पी-12 एवं मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-13 लेख किये जाने की पुष्टि की है।

14— अनुसंधानकर्ता रामकिशोर माथरे (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-10.08.2011 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-81/2011, धारा 304(ए) भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को घटना स्थल पहुंचकर अमीनदास उर्फ दाऊ टांडिया की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 है, जिस पर हस्ताक्षर है। उसके द्वारा साक्षी अमीनदास टांडिया, त्रिभुवनदास, तखतदास, हीरादास, सुरेन्द्र कुमार, चरणदास, संतोष श्रीवास्तव एवं गणेश पटले के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा दिनांक-12.08.2011 को आरोपी के द्वारा पेश करने पर वाहन हीरो होण्डा सी.जी.08/एन.1243 को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं वाहन के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-9 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से मामले में की गई जांच एवं अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस साक्षी के द्वारा तैयार मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही के संबंध में साक्षी अमीनदास (अ.सा.3) ने भी उक्त कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है। साक्षी रौनूसिंह (अ.सा.9) ने अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-8 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9 की कार्यवाही का समर्थन मुख्य परीक्षण में किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर हस्ताक्षर कर दिया था और दस्तावेज पढ़कर नहीं देखा था। इस साक्षी ने अनुसंधानकर्ता की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य में उसके कथन का खण्डन न किये जाने से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित होती है।

16— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने घटना के

समय दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। अभियोजन ने मात्र सुरेन्द्र (अ.सा.8) को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने अपनी साक्ष्य में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन चालक के रूप में नहीं की है। अन्य सभी साक्षीगण ने भी मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना के पश्चात् पहुंचने का वृतांत पेश कर दूसरों के बताने पर आरोपी के कथित मोटरसाइकिल चालक के रूप में दुर्घटना कारित करना व्यक्त किया है, किन्तु स्वयं दुर्घटना होते हुये नहीं देखे जाने के कारण दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय मृतक बादशाह की वाहन दुर्घटना में गम्भीर चोट आने के कारण मृत्यु हो गई थी। अभियोजन ने यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की कथित उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चालन के कारण हुई। वास्तव में आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित मोटरसाइकिल का चालन किये जाने के संबंध में भी साक्ष्य का अभाव होने से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहन मोटरसाइकिल का चालन किया जा रहा था।

17— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने लोकस्थान पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी.डिलक्स क्रमांक—सी.जी.08/एन.1243 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक बादशाह को ठोस मारकर, उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया।। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा सी.डी.डिलक्स क्रमांक—सी.जी.08/एन.1243 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार भितू उर्फ भितफोडिया निवासी दमोह, थाना बिरसा को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट